Order sheet [Contd]

Case No: BA. -341 / 17

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

27-09-17

02:30 to 2:45 PM अावेदक / अभियुक्त दलवीर द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उप०।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप०। थाना मो के अपराध कमांक 195 / 17 अंतर्गत धारा–452, 294, 506 भा0दं0सं0 की कैफीयत एवं केस डायरी प्राप्त।

आवेदक / अभियुक्त के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 दं०प्र०सं० के साथ आवेदक दलवीर सिंह के पुत्र निर्भय यादव द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह बताया गया है कि यह आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 दं०प्र०सं० का है। इस प्रकृति का कोई आवेदन समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है।

आवेदक / अभियुक्त दलवीर सिंह के अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 भां०दं०सं० पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसके विरुद्ध पुलिस थाना मौ ने एक झूटा अपराध दिनांक 07.08.17 को फरियादी संजू यादव की रिपोर्ट पर से पंजीबद्ध कर लिया है। जबकि आवेदक एक वर्ष से कस्बा मी छोड़े हुए है और ग्राम पंचायत परासनी जिला जालीन उ०प्र० में ट्रेक्टर चला रहा है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। आवेदक घटना दिनांक 07.08.17 को कस्बा मो में नहीं था। उसके विरूद्ध जो प्रकरण पुलिस थाना मौ द्वारा पंजीबद्ध किया गया है वह पार्टीबंदी के कारण विरोधियों के द्वारा झुठा पंजीबद्ध कराया गयसा है। आवेदक के छोटे भाई की पत्नी श्रीमती प्रीती यादव दो बार मौ नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुकी है और चुनाव आने वाले हैं। इसलिए विरोधियों ने अभी से उसके विरूद्ध झूठे आरोप लगाकर प्रकरण पंजीबद्ध कराने प्रारंभ कर दिए हैं। आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। उक्त अपराध में पुलिस थाना मौ आवेदक को गिरफ्तार करना चाहती है, ऐसी उसे आंशका है। आवेदक संभ्रान्त नगारिक होकर बाल बच्चेदार व्यक्ति है। यदि आवेदक को गिरफतार किया गया तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 07.08.17 को रात्रि 09:30 बजे के लगभग फरियादी संजीव यादव अपने ताऊ प्रताप सिंह यादव के साथ अपने घर लुहारपुरा वार्ड कमांक 01 मौ में

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

था कि तभी पुरानी रंजिश को लेकर पप्पन उर्फ दलवीर सिंह यादव फरियादी के घर के अंदर घुस आया और फरियादी व उसके ताऊ को मां बिहन की अश्लील गालियां देने लगा, मना करने पर कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगा तभी मौके पर मुकेश सिंह यादव और जगदीश सिंह यादव आ गए जिन्हें देखकर वह भाग गया। उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 08.08.17 को थाना मौ में की गई।

इस मामले में अभियोजन के अनुसार अभियुक्त पप्पन उर्फ बलवीर के द्वारा रात्रि के समय फरियादी के घर के अंदर घुसकर आग्नेयास्त्र दिखाकर गालियां और धमकी दी गई है। आवेदक की ओर से 16.08.17 का प्रमाणपत्र तथा पुलिस महानिरीक्षक चंबल संभाग की ओर किए गए आवेदन की प्रति पेश की गई है। जिसमें यह बताया गया है कि आवेदक घटनास्थल पर नहीं था। आवेदक घटनास्थल पर था अथवा नहीं या गुणदोष के प्रश्न हैं।

मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों को देखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

केस डायरी आदेश की प्रति के साथ वापिस की जावे। नतीजा दर्ज करने के बाद यह आदेश पत्रिका एवं प्रपन्न अभिलेखागार में भेजा जावे।

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर सन्न न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड